

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम एकता काबरा, आर.ए.एम

वाद संख्या : 80/2022

निर्णय दिनांक : 21/04/2023

1. अजय कृष्ण मोदी पुत्र भोमप्रकाश मोदी जाति महाजन निवासी 49 कशव पथ सूरज नगर पश्चिम सिविल लाइन्स जयपुर।
2. श्री राधेगोविन्द फामेस प्रा लिमि तरिय निदेशक विजय कृष्ण मोदी पुत्र श्री भोमप्रकाश मोदी पत्नीकृत कार्यालय 72-ए किरण पथ सूरज नगर पश्चिम सिविल लाइन्स जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. केदार लाल पुत्र रामेश्वर जाति महाजन निवासी बी-10, जनता कॉलोनी बगीची तुलसीदास, तहसील व जिला जयपुर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल जाति महाजन निवासी बी-10, जनता कॉलोनी बगीची तुलसीदास, तहसील व जिला जयपुर।
3. कामता प्रसाद पुत्र रामनारायण गर्ग (मृतक)
- 3/1. ज्ञानेश शर्मा पुत्र कामता प्रसाद
- 3/2. देवेश कुमार शर्मा पुत्र कामता प्रसाद
- 3/3. शैलजा शर्मा पुत्री कामता प्रसाद
समस्त जाति महाजन, निवासीगण बी-92/सी, सूर्य मार्ग, तिलक नगर, तहसील व जिला जयपुर।
4. गोपाल पुत्र केदार लाल, जाति महाजन, निवासी बी-10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, तहसील व जिला जयपुर।
5. प्रभा चौधरी पत्नी महेन्द्र सिंह चौधरी, जाति जाट, निवासी 7-ढ-18, जवाहर नगर, जयपुर।
6. मैसर्स केदारलाल, कृष्ण कुमार गोयल, कटला पुरोहित जी जयपुर।
7. राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग, जाति महाजन, निवासी बी-53, जनता कॉलोनी, तहसील व जिला जयपुर।
8. रामनारायण पुत्र फूलचन्द (मृतक दौराने वाद नाम हजफ)
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण


वाद पत्र बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955


उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत होने पर वादी का प्रतिवादीगण विरुद्ध दिनांक 20.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतिथो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/डिक्री/2023/2859 दिनांक 06.04.2023 के संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतिथो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खाता संख्या 476/397 में भूमि खसरा नम्बर 4361 रकबा 1.81 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 1.81 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	4361	1.81	चाही 2 जाव 2		अजयकुमार मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 39/181, जाति महाजन, नि. ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर खातेदार, केदारलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 79/2172, जाति महाजन, नि. बी-10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, कृष्णकुमार पुत्र केदार लाल हिस्सा 237/1448, जाति महाजन, नि. बी-10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, कामता प्रसाद गर्ग पुत्र समनारायण गर्ग हिस्सा 7/181, जाति महाजन, नि. बी-92/सी, सूर्यमार्ग, तिलकनगर जयपुर खातेदार, गोपाल पुत्र केदारलाल हिस्सा 79/1448, जाति



(Handwritten signature)

किता-1

1.81

महाजन, नि. बी-10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, प्रमा चौधरी पत्नि महेन्द्र सिंह चौधरी हिस्सा 7/181, जाति जाट, नि. 7 व 18, जवाहरनगर, जयपुर खातेदार, मे. केदारलाल कृष्णकुमार गोयल, कटला पुरोहित जी, जयपुर हिस्सा 79/1086 खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 79/724, जाति महाजन, नि. बी-53, जनता कॉलोनी, जयपुर खातेदार, श्री राधेगोविन्द फार्मस प्रा.लि. पंजीयन कार्यालय जी 5-6, अन्नपूर्णा चेम्बर्स रेल्वे पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर जरिये डाइरेक्टर ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 49/181 खातेदार


प्रस्तावित कुर्रजात इन्द्राज

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारों का नाम व पिता का नाम	किरम
1	4361 में से	0.88	अजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 39/88, जाति महाजन, निवासी 49, केशव पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर खातेदार, श्री राधेगोविन्द फार्मस प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 72-ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर जरिये डाइरेक्टर विजय कृष्ण मोदी पुत्र श्री ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 49/88 खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता-1	0.88		
2	4361 में से	0.79	केदारलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 658/7900, जाति महाजन, नि. बी-10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, कृष्णकुमार पुत्र केदार लाल हिस्सा 2964/7900, जाति महाजन, नि. बी-10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, गोपाल पुत्र केदारलाल हिस्सा 986/7900,	चाही 2 जाव 2

			जाति महाजन, नि. बी-10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, मै. कंदारलाल कृष्णकुमार गोयल, कटला पुरोहित जी, जयपुर हिरसा 1317/7900 खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिरसा 1975/7900, जाति महाजन, नि. बी-53, जनता कॉलोनी, जयपुर खातेदार	
	किता-1	0.79		
3	4361 में से	0.07	कामता प्रसाद गर्ग पुत्र रामनारायण गर्ग, जाति महाजन, नि. बी-92/सी, सूर्यमार्ग, तिलकनगर जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता-1	0.07		
4	4361 में से	0.07	प्रभा चौधरी पत्नि महेन्द्र सिंह चौधरी, जाति जाट, नि. 7 ढ 18, जवाहरनगर, जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता-1	0.07		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर।